National Journal of Advanced Research
www.nationaljournals.com
ISSN: 2455-216X
Received: 28-04-2026, Accepted: 29-05-2026, Published: 13-06-2026
Volume 12, Issue 2, 2026, Page No. 36-40

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अध्यापक शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन

डॉ. मीनाक्षी शर्मा[1], एकता सैनी[2]
[1] सोसिएट प्रोफेसर, बियानी गर्ल्स बी.एड. कॉलेज, जयपुर, राज्यस्थान, भारत
[2] बियानी गर्ल्स बी.एड. कॉलेज, जयपुर, राज्यस्थान, भारत
DOI: https://doi.org/10.66856/njar.2026.12.2.12021

सारांश
प्रस्तुत शोध का विषय "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अध्यापक शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन" है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक व्यापक एवं परिवर्तनकारी दस्तावेज के रूप में उभरकर सामने आई है, जिसमें शिक्षक शिक्षा को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। नीति में शिक्षकों को शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में रखते हुए उनकी व्यावसायिक दक्षता, प्रशिक्षण, नवाचार, तकनीकी दक्षता तथा शिक्षण गुणवत्ता के विकास पर विशेष बल दिया गया है। शिक्षक शिक्षा सुधारों में समेकित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, सतत व्यावसायिक विकास तथा बहुविषयक दृष्टिकोण को प्रमुख स्थान दिया गया है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में अध्यापक शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का विश्लेषण करना है। अध्ययन में यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि शिक्षक नीति के उद्देश्यों, प्रावधानों तथा शिक्षक शिक्षा संबंधी सुधारों के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं। साथ ही, शहरी एवं ग्रामीण तथा महिला एवं पुरुष शिक्षकों की अभिवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया। इस शोध में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है। अध्ययन हेतु कुल 200 शिक्षकों का नमूना चयनित किया गया, जिसमें शहरी महिला, शहरी पुरुष, ग्रामीण महिला तथा ग्रामीण पुरुष शिक्षक सम्मिलित किए गए। आंकड़ों के संकलन हेतु अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग किया गया तथा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण माध्य, मानक विचलन एवं ज–परीक्षण द्वारा किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति सामान्यतः सकारात्मक है। लिंग के आधार पर अभिवृत्ति में विशेष अंतर नहीं पाया गया, जबकि शहरी एवं ग्रामीण शिक्षकों के मध्य सार्थक अंतर पाया गया। शहरी शिक्षकों की अभिवृत्ति ग्रामीण शिक्षकों की अपेक्षा अधिक सकारात्मक पाई गई, जिसका प्रमुख कारण बेहतर शैक्षिक संसाधन, प्रशिक्षण सुविधाएँ तथा तकनीकी उपलब्धता है। अतः यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शिक्षक शिक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाना तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण एवं संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है।

मूलशब्द: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अध्यापक शिक्षा, शिक्षकों की अभिवृत्ति, शहरी एवं ग्रामीण शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक सुधार, व्यावसायिक विकास, सर्वेक्षण विधि

राष्ट्रीय शिक्षा नीति से तात्पर्य उन शिक्षा नीतियों से है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की आवश्यकता अनुसार प्रतिपादित या गठन किया गया है। यहां पर प्रयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति से तात्पर्य की नई शिक्षा नीति से है। भारतीय संविधन के चौथे भाग में उल्लिखित नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर के सभी बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। पिछले चार–पांच सालों से नई शिक्षा नीति का इंतजार हो रहा था। नई शिक्षा नीति 2016 का पहला ड्राफ्ट आते–आते यह नई शिक्षा नीति 2020 के रूप में पहला ड्राफ्ट नये मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निरांक को उनके पदभार ग्रहण करते ही के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा सौपा गया। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 1976 से पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय थी। लेकिन 1976 में किये गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जिन पांच विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, उनमें शिक्षा भी शामिल थी। गौरतलब है कि समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केन्द्र और राज्य मिलकर काम करते है।

समस्या का औचित्य
शिक्षा के समग्र विकास के लिए विभिन्न नीतियों का गठन किया गया जिससे कि भारतीय शिक्षा पद्धति और राष्ट्रीयता के अनुकूल उपलब्धियां प्राप्त हो सके। शिक्षा के बिना विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सामान्य जीवन की बात हो या केरियर की शिक्षा का अपना ही महत्व है। शिक्षा की अहमियत को समझते हुए सरकार ने सन् 1968, 1986, 1992 में परिवर्तनों के लिए नीतियों का निर्माण किया जिसके सुखद नतीजे आज सामने है। आज 14 वर्ष तक के बालक के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अभी–अभी नई शिक्षा नीति का निर्माण हुआ है जिसमें शिक्षा से सम्बन्धी अनेक परिवर्तन हुये है। समिति ने जोर दिया है कि शिक्षा और पढ़ने–पढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया जाना चाहिए। ड्राफ्ट में कहा गया है कि नियमित आधार पर देश में शिक्षा के दृष्टिकोण को विकसित करने, मूल्यांकन करने और संसोधन करने के लिए एक नई शीर्ष संस्था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या एनईसी का गठन किया जाए।

सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन
- सारावती, आर., दिसम्बर–2025 विद्यार्थियों के अधिगम शिक्षण में आने वाली कठिनाईयों के पाठ्यक्रम के स्तर पर अध्ययन एवं सुझाव। उद्देश्यः– विद्यार्थियों में तकनीकी अभिवृत्ति के विकास अध्ययन। विद्यार्थियों को प्रायोगिक कार्यो के लिए प्रेरित करने का अध्ययन करना। पाठ्यक्रम में उस अध्याय को जोड़ना जो विद्यार्थियों के जीवन में प्रतिदिन आती है। निष्कर्षः– शिक्षकों को सम्पूर्ण योजना एवं पाठ्यक्रम की जानकारी दी जाना चाहिए एवं उसके अनुरूप शिक्षकों को तैयार किया जाना चाहिए। विज्ञान विषय के विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्रयोगिक कार्यो द्वारा देना।
- कृष्णामूर्ति, जे., जून–2025 "पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा के विकास एवं वृद्धि करने में एन.जी. ओज की भूमिका का

अध्ययन" उद्देश्य पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने का अध्ययन। पाठ्यक्रम के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु सुझावों का अध्ययन। निष्कर्ष उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए एन.जी. आज द्वारा जो विद्यार्थी विद्यालय नहीं जाते उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बालकों की तुलना में बालिकाओं को कम विद्यालय भेजा जाता है। पाठ्यक्रम के प्रति जागरूकता दी गई।

- संतानम, पी. 2025 "उपचारात्मक कार्यक्रम द्वारा विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में आने वाली कठिनाईयों का अध्ययन", उद्देश्य प्रतिभावान बालकों में पाठ्यक्रम में आने वाली कठिनाईयों के स्तर का मापन। शिक्षकों एवं अभिभावकों को योजना के अनुसार तैयार करना ताकि वह विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम संबंधी कठिनाईयों में सुधार कर सके। संस्थानों को विद्यार्थियों के मनोशिक्षा से संबंधित जानकारी देना जिससे उनकी कठिनाईयों को दूर किया जा सके। निष्कर्ष बालकों में सीखने की योग्यता अधिक है। पाठ्यक्रम में जो कठिनाई आती है। बालकों के अयोग्य संस्थान द्वारा उपचारात्मक कार्यक्रम द्वारा सुधारी जा सकती है।
- सच्चीदानन्द (2024) ने साक्षरता मुजफ्फरनगर (सामू) का मूल्यांकन किया और उसने पाया कि विद्यालय के अध्यापक व एस.ए.एम.वी. विद्यार्थी सामाजिक वातावरण में अच्छी भूमिका अदा कर रहे थे। विद्यार्थी आपस में केन्द्रों की एक बड़ी संख्या चला चुके थे। जीविका का विचार ज्ञान प्राप्त करते समय प्रभावशाली नहीं सिद्ध हुआ क्योंकि आमदनी पैदा करने वाले सभी साक्षरता कक्षाओं को प्रदान नहीं किये गये। यह भी देखा गया कि यह कार्यक्रम सरकार की सहायता से एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही संचालित थे।
- 10–सिंह, सुधा बाला (2023) ने कामकाजी व घरेलू महिलाओं के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का उनके बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन ''ए कम्परेटिव स्टडी ऑफ पर्सेनलिटी ऑफ वर्किंग एण्ड नॉन वर्किंग वूमेन विद स्पेशल रिफरेन्स टू फैमेली एडजैस्टमेन्ट एण्ड देयर इम्पैक्ट आद दा एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन'' के अन्तर्गत किया। उद्देश्य कामकाजी और घरेलू महिलाओं के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का अध्ययन करना। कामकाजी और घरेलू महिलाओं की उपलब्धि में आवश्यक अन्तर का पता लगाना। इस अध्ययन के लिए असंगत रीति द्वारा कामकाजी और गैर कामकाजी आगरा शहर की 300 महिलाओं का प्रतिरूप लिया गया। उपलब्धि परीक्षण के लिए बच्चों के हाई स्कूल के अंक लिये गये। मध्यमान, मानक विचलन व टी–टेस्ट के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष कामकाजी व गैर कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य और भावनात्मक समायोजन में आवश्यक अन्तर पाया गया। कामकाजी और गैर कामकाजी महिलाओं के बच्चों की विद्यालयी उपलब्धियों में आवश्यक अन्तर नहीं पाया गया।

साहित्य विवचेना

पुस्तक इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित करती है कि अधिक धन और संसाधन होना चाहिए। स्कूल छोड़ने वालों को वापस लाने के लिए आवश्यक और विशेष पहल की जानी चाहिए। बाल मजदूर और हाशिए के वर्गो और कमजोर वर्गों के बच्चे। यह अधिनियम के कुछ व्यावहारिक खंडों का भी स्वागत करता है। जैसे कि इसे अनिवार्य बनाना सभी निजी स्कूलों में वंचित और से संबंधित बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटे आरक्षित है। इस अधिनियम के सफल कार्यान्वयन के लिए वे हमें इस आगे जाने की सलाह देते है। माता–पिता, शिक्षक, सिविल सेवक, निजी उद्यमी, कार्यकारी अधिकार सभी को एक साथ आने और बोझ साझा करने की आवश्यकता है। पुस्तक में सभी पेशेवरों और विपक्षों को शामिल किया गया है। आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुसार। धार (1 अप्रैल 2010) ने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था '' शिक्षा एक मौलिक अधिकार है''। शिक्षा अधिनियम, 2009 एक ऐतिहासिक कानून था जो शिक्षा को हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार बनाता था, बच्चा लाभान्वित हो रहा है। यह सुनिश्चित करें कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा मिले। 1 अप्रैल 2010 को भारत दुनिया के कुछ देशों के समूह में शामिल हो गया, जिसमें एक ऐतिहासिक कानून शिक्षा का था, प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार।

समस्या कथन

''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अध्यापक षिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन''

अध्ययन के उद्देश्य

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अध्यापक शिक्षा का अध्ययन करना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अध्यापक शिक्षा के प्रति शहरी अध्यापको की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अध्यापक शिक्षा के प्रति ग्रामीण अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लिंग के आधार पर शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अध्यापक शिक्षा के प्रति शहरी, महिला व पुरूष शिक्षकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अध्यापक शिक्षा के प्रति ग्रामीण महिला व पुरूष शिक्षकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अध्यापक शिक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण महिला शिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अध्यापक शिक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण पुरूष शिक्षको की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध का महत्व

हर कार्य का अपना महत्व होता है तथा उद्देश्य निहित होते है। इस प्रकार नई शिक्षा नीति का भी अपना एक अलग ही महत्व है क्योंकि शिक्षा तब तक सार्थक नहीं होती जब कि उसका प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े और उसमें कुछ नवीन परिवर्तन ना हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नवीन सुधारों की अनुशंषा की गयी है। उनके माध्यम से नवीन प्रतिमान स्थापित करते हुए हमारे छात्रों, शिक्षकों और शैक्षिक संस्थाओं को उपयुक्त योग्यताओं और क्षमताओं से लैस करने और जीवंत भारत के लिए एक समर्थकारी और नवीन शैक्षिक तंत्र को सृजित किया जायेगा। आने वाले वर्षो में यह नीति उम्मीदों पर खरी साबित होगी। जिन बदलावों की हमने कल्पना की है उन्हें लागू करने के लिए हमस ब मिल कर काम करें। इस शोध कार्य का महत्व नई शिक्षा नीति में हुये नवीन सुधारों की अनुंशषा की गयी है। शिक्षा किसी राष्ट्र की अनिवार्य आवश्यकता है।

कार्यप्रणाली

शोध में प्रयुक्त अनुसंधान विधिः प्रयुक्त शोधकार्य की समस्या को भली–भांति समझकर अध्ययन से सम्बन्धित साहित्य का अवलोकन कर अनुसंधान हेतु सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया है।

शोध में प्रयुक्त उपकरण: प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शोधकर्त्री द्वारा प्रदत्तों का संकलन हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया। इस हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली का निर्माण किया गया है।

विश्वसनीयता: प्रस्तुत अध्ययन में प्रयुक्त अभिवृत्ति मापनी की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए स्प्लिट–हाफ विधि का प्रयोग किया गया। इस विधि के अंतर्गत प्रश्नावली के सभी कथनों को दो समान भागोंकृसम एवं विषम मदों—में विभाजित किया गया। इसके पश्चात दोनों भागों से प्राप्त अंकों के मध्य पियर्सन सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया गया। 0.90 का विश्वसनीयता गुणांक यह सिद्ध करता है कि अध्ययन में प्रयुक्त अभिवृत्ति मापनी अत्यंत विश्वसनीय है। इसका अर्थ है कि यदि यही मापनी समान परिस्थितियों में पुनः समान प्रकार के शिक्षकों पर लागू की जाए, तो लगभग समान परिणाम प्राप्त होंगे। अतः यह उपकरण शिक्षकों की अभिवृत्ति मापन के लिए उपयुक्त एवं भरोसेमंद माना जा सकता है।

वैधता: इस अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण की वैधता सुनिश्चित करने के लिए विषय–वस्तु वैधता तथा निर्माण वैधता का उपयोग किया गया। अतः यह कहा जा सकता है कि अध्ययन में प्रयुक्त अभिवृत्ति मापनी उच्च विश्वसनीयता (0.90) एवं उच्च वैधता (0. 87) रखती है, इसलिए यह शोध कार्य हेतु पूर्णतः उपयुक्त है।

जनसंख्या: प्रस्तुत अध्ययन में जयपुर शहर के 200 निजी व सरकारी दोनों प्रकार के अध्यापकों का चयन किया गया।

शोध मे प्रयुक्त न्यादर्श: प्रस्तुत शोध कार्य में अनुसंधान हेतु 200 सरकारी व गैर सरकारी अध्यापकों का चयन किया गया जिसमें 100 सरकारी अध्यापक तथा 100 गैर सरकारी अध्यापक लिये गये है।

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी: अनुसंधान में प्रयुक्त सांख्यिकी प्रतिशतता पर बार ग्राफ आधारित होगी।

परिकल्पना 1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अध्यापक शिक्षा के प्रति शहरी महिला एवं शहरी पुरुष शिक्षकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी 1: शहरी महिला एवं शहरी पुरुष शिक्षकों की अभिवृत्ति का ज–परीक्षण

समूह	संख्या (N)	माध्य (Mean)	मानक विचलन (SD)	t–मूल्य	df	सार्थकता स्तर
शहरी महिला	100	78.40	6.25	0.94	118	असार्थक
शहरी पुरुष	100	79.55	7.10			

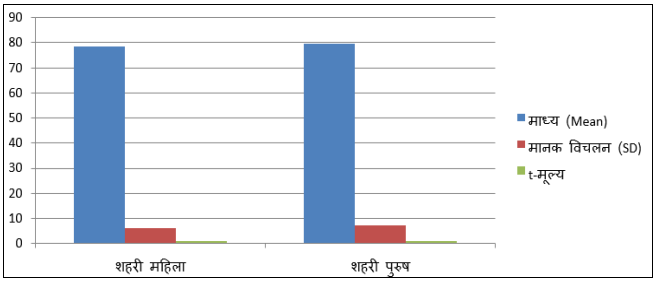

व्याख्या

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अध्यापक शिक्षा के प्रति शहरी महिला एवं शहरी पुरुष शिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई सांख्यिकीय रूप से सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। शहरी महिला शिक्षकों का माध्य 78.40 तथा शहरी पुरुष शिक्षकों का माध्य 79.55 प्राप्त हुआ है, जो एक–दूसरे के अत्यंत निकट हैं। दोनों समूहों के मध्य प्राप्त ज–मूल्य 0.94 है, जो निर्धारित सार्थकता स्तर से कम होने के कारण असार्थक पाया गया। यह परिणाम इस तथ्य को इंगित करता है कि शहरी क्षेत्र में कार्यरत महिला एवं पुरुष शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रति लगभग समान रूप से जागरूक, संवेदनशील तथा सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। शहरी परिवेश में शिक्षकों को नवीन शैक्षिक नीतियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, डिजिटल शिक्षण संसाधनों तथा प्रशासनिक सहयोग की पर्याप्त उपलब्धता होती है, जिससे दोनों वर्गों के शिक्षकों के विचारों एवं अभिवृत्तियों में समानता विकसित होती है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल, वेबिनार तथा नीति–संबंधी दस्तावेजों तक आसान पहुँच होने के कारण महिला एवं पुरुष शिक्षकों के बीच ज्ञान एवं समझ का स्तर लगभग समान रहता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि लिंग के आधार पर शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रति दृष्टिकोण में कोई विशेष भिन्नता नहीं है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शहरी महिला एवं शहरी पुरुष शिक्षक अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रति समान रूप से सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं। इसलिए प्रस्तुत परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

परिकल्पना 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अध्यापक शिक्षा के प्रति ग्रामीण महिला एवं ग्रामीण पुरुष शिक्षकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

समूह	संख्या (N)	माध्य (Mean)	मानक विचलन (SD)	t–मूल्य	df	सार्थकता
ग्रामीण महिला	100	74.80	6.90	1.12	118	असार्थक
ग्रामीण पुरुष	100	76.10	5.85			

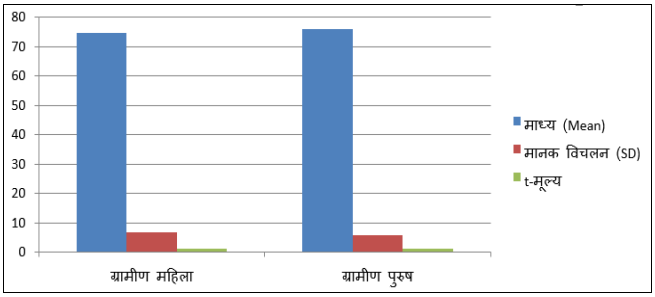

व्याख्या

उपरोक्त सारणी के अनुसार ग्रामीण महिला शिक्षकों का माध्य 74. 80 तथा ग्रामीण पुरुष शिक्षकों का माध्य 76.10 प्राप्त हुआ है। दोनों समूहों के बीच प्राप्त ज–मूल्य 1.12 है, जो सांख्यिकीय दृष्टि से असार्थक पाया गया। इसका अर्थ यह है कि ग्रामीण महिला एवं ग्रामीण पुरुष शिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई महत्वपूर्ण अंतर विद्यमान नहीं है। यह परिणाम दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिला एवं पुरुष शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों, सिद्धांतों तथा अध्यापक शिक्षा से संबंधित प्रावधानों के प्रति लगभग समान दृष्टिकोण रखते हैं। यद्यपि पुरुष शिक्षकों का माध्य थोड़ा अधिक है, तथापि यह अंतर इतना अधिक नहीं है कि उसे सांख्यिकीय रूप से सार्थक माना जा सके। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ग्रामीण परिवेश में उपलब्ध शैक्षिक संसाधन, प्रशिक्षण अवसर, विद्यालयीय वातावरण तथा प्रशासनिक व्यवस्थाएँ दोनों वर्गों के शिक्षकों को लगभग समान रूप से प्रभावित कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नीति–संबंधी जानकारी का प्रसार चाहे सीमित हो, फिर भी महिला एवं पुरुष दोनों शिक्षकों तक उसका प्रभाव समान रूप से पहुँच रहा है। यह निष्कर्ष भी महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण क्षेत्र में लिंग के आधार पर शिक्षकों की अभिवृत्ति में विशेष अंतर नहीं पाया गया, जो यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा

नीति 2020 के प्रति समझ और स्वीकृति का स्तर दोनों समूहों में लगभग समान है। अतः प्रस्तुत परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

परिकल्पना 3: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अध्यापक शिक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण महिला शिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

समूह	संख्या (N)	माध्य (Mean)	मानक विचलन (SD)	t–मूल्य	df	सार्थकता
शहरी महिला	100	78.40	6.25	2.86	118	सार्थक
ग्रामीण महिला	100	74.80	6.90			

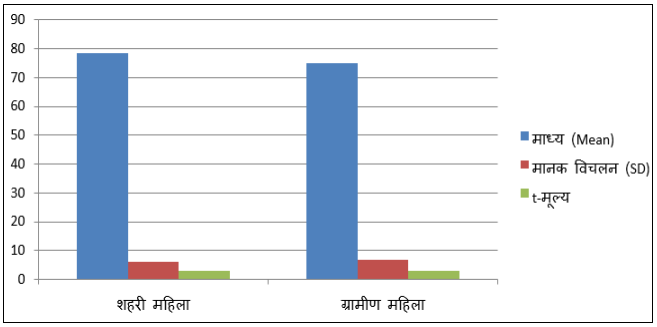

व्याख्या

सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि शहरी महिला शिक्षकों का माध्य 78.40 तथा ग्रामीण महिला शिक्षकों का माध्य 74.80 है। दोनों समूहों के मध्य प्राप्त ज–मूल्य 2.86 है, जो निर्धारित सार्थकता स्तर से अधिक होने के कारण सांख्यिकीय रूप से सार्थक पाया गया है। यह परिणाम इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि शहरी एवं ग्रामीण महिला शिक्षकों की अभिवृत्ति में महत्वपूर्ण अंतर विद्यमान है। शहरी महिला शिक्षकों का माध्य अधिक होने से यह सिद्ध होता है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रति ग्रामीण महिला शिक्षकों की अपेक्षा अधिक सकारात्मक, जागरूक एवं अनुकूल दृष्टिकोण रखती हैं। इस अंतर का प्रमुख कारण शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध बेहतर शैक्षिक संसाधन, नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, तकनीकी सुविधाएँ, इंटरनेट की सहज उपलब्धता, डिजिटल शिक्षण सामग्री तथा शैक्षिक कार्यशालाएँ हो सकती हैं। शहरी शिक्षिकाएँ नीति के नवीन प्रावधानों, जैसे बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास, समावेशी शिक्षा तथा तकनीकी एकीकरण, से अधिक परिचित होती हैं। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी, प्रशिक्षण अवसरों का अभाव, सीमित तकनीकी पहुँच तथा अधोसंरचनात्मक समस्याएँ महिला शिक्षकों की अभिवृत्ति को प्रभावित कर सकती हैं। कई बार ग्रामीण शिक्षिकाओं को नीति के व्यावहारिक क्रियान्वयन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी अभिवृत्ति अपेक्षाकृत कम सकारात्मक हो सकती है। अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि स्थानीय परिवेश (शहरी एवं ग्रामीण) महिला शिक्षकों की अभिवृत्ति को प्रभावित करता है। इसलिए प्रस्तुत परिकल्पना अस्वीकार की जाती है।

परिकल्पना 4: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अध्यापक शिक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण पुरुष शिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

समूह	संख्या (N)	माध्य (Mean)	मानक विचलन (SD)	t–मूल्य	df	सार्थकता
शहरी पुरुष	100	79.55	7.10	2.41	118	सार्थक
ग्रामीण पुरुष	100	76.10	5.85			

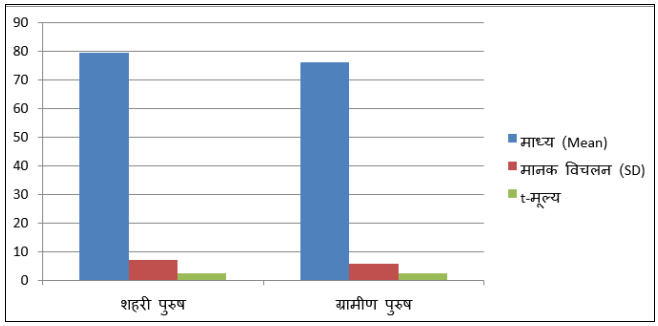

व्याख्या

उपरोक्त सारणी के अनुसार शहरी पुरुष शिक्षकों का माध्य 79.55 तथा ग्रामीण पुरुष शिक्षकों का माध्य 76.10 प्राप्त हुआ है। दोनों समूहों के बीच प्राप्त ज–मूल्य 2.41 है, जो सांख्यिकीय रूप से सार्थक पाया गया है। यह परिणाम दर्शाता है कि शहरी एवं ग्रामीण पुरुष शिक्षकों की अभिवृत्ति में महत्वपूर्ण अंतर पाया गया है। शहरी पुरुष शिक्षकों का माध्य ग्रामीण पुरुष शिक्षकों की तुलना में अधिक है, जो इस बात का संकेत है कि शहरी क्षेत्र के शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रति अधिक सकारात्मक एवं अनुकूल दृष्टिकोण रखते हैं। इसका प्रमुख कारण शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध आधुनिक शैक्षिक संसाधन, ICT आधारित शिक्षण, प्रशिक्षण कार्यशालाएँ, स्मार्ट कक्षाएँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा प्रशासनिक सहयोग हो सकता है। शहरी शिक्षक नई नीति के विभिन्न आयामों जैसे कौशल–आधारित शिक्षा, समग्र विकास, शिक्षक प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन प्रणाली से अधिक परिचित रहते हैं। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी, प्रशिक्षण की सीमित उपलब्धता, तकनीकी अवसंरचना का अभाव तथा प्रशासनिक सहयोग की कमी शिक्षकों की अभिवृत्ति को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि ग्रामीण पुरुष शिक्षकों का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत कम सकारात्मक दिखाई देता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि स्थानीय भिन्नता (शहरी एवं ग्रामीण) पुरुष शिक्षकों की अभिवृत्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। इसलिए प्रस्तुत परिकल्पना अस्वीकार की जाती है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अध्यापक शिक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण महिला तथा पुरुष शिक्षकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। चारों परिकल्पनाओं के सांख्यिकीय परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि लिंग के आधार पर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया, जबकि स्थान (शहरी एवं ग्रामीण) के आधार पर महिला तथा पुरुष शिक्षकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर विद्यमान है। प्रथम एवं द्वितीय परिकल्पना के अनुसार शहरी महिला–पुरुष तथा ग्रामीण महिला–पुरुष शिक्षकों के मध्य प्राप्त ज–मूल्य तालिका मान से कम पाए गए, जिससे यह सिद्ध होता है कि समान क्षेत्रीय परिवेश में कार्यरत शिक्षकों की अभिवृत्ति लिंग के आधार पर विशेष रूप से भिन्न नहीं होती। इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रति जागरूकता, दृष्टिकोण एवं स्वीकृति का स्तर महिला एवं पुरुष दोनों में लगभग समान है। इसके विपरीत तृतीय एवं चतुर्थ परिकल्पना के परिणामों से ज्ञात हुआ कि शहरी महिला–ग्रामीण महिला तथा शहरी पुरुष–ग्रामीण पुरुष शिक्षकों की अभिवृत्ति में सांख्यिकीय रूप से सार्थक अंतर पाया गया। शहरी शिक्षकों का माध्य अधिक होने से यह स्पष्ट होता है कि शहरी क्षेत्र के शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों, नवीन शिक्षण पद्धतियों, बहुविषयक दृष्टिकोण, तकनीकी समावेशन तथा प्रशिक्षण संबंधी प्रावधानों के प्रति अधिक सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं। अतः समग्र रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रति

अध्यापक शिक्षा संबंधी अभिवृत्ति को लिंग की अपेक्षा क्षेत्रीय परिवेश अधिक प्रभावित करता है। शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध शैक्षिक संसाधन, प्रशिक्षण अवसर, तकनीकी सुविधाएँ तथा संस्थागत सहयोग शिक्षकों की अभिवृत्ति को अधिक सकारात्मक बनाते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की सीमाएँ इस अभिवृत्ति को अपेक्षाकृत कम प्रभावित करती हैं।

परिणाम : प्रस्तुत अध्ययन के सैद्धांतिक परिणाम यह संकेत करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव शिक्षकों की अभिवृत्ति पर सामाजिक एवं भौगोलिक संदर्भों के अनुसार भिन्न रूप में परिलक्षित होता है। यह अध्ययन शैक्षिक अभिवृत्ति सिद्धांत तथा सामाजिक अधिगम सिद्धांत को सुदृढ़ समर्थन प्रदान करता है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति उसके परिवेश, अनुभवों, संसाधनों तथा सामाजिक अंतः क्रियाओं से निर्मित होती है। अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि जहाँ शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों को नवीन नीतियों की जानकारी, ICT आधारित प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ, सेमिनार तथा व्यावसायिक विकास के अवसर अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं का अपेक्षाकृत अभाव देखा जाता है। परिणामस्वरूप शहरी शिक्षकों की अभिवृत्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रति अधिक सकारात्मक पाई गई। यह निष्कर्ष पर्यावरणीय प्रभाव सिद्धांत के अनुरूप है, जो यह मानता है कि किसी व्यक्ति की सोच, दृष्टिकोण तथा व्यवहार उसके कार्य–परिवेश से गहराई से प्रभावित होते हैं। अर्थात जिस वातावरण में शिक्षक कार्य करते हैं, वही उनके विचारों, जागरूकता तथा नीति के प्रति दृष्टिकोण को आकार देता है। साथ ही, अध्ययन में लिंग के आधार पर महत्वपूर्ण अंतर का अभाव यह दर्शाता है कि वर्तमान समय में महिला एवं पुरुष शिक्षक समान रूप से पेशेवर दक्षता, नीति संबंधी जागरूकता तथा शिक्षण उत्तरदायित्व को ग्रहण कर रहे हैं। यह परिणाम लैंगिक समानता सिद्धांत को भी समर्थन प्रदान करता है, जिसके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अवसर, सहभागिता और उत्तरदायित्व दोनों लिंगों के लिए समान रूप से विकसित हो रहे हैं। इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से यह अध्ययन स्थापित करता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना तथा विशेष रूप से ग्रामीण शिक्षकों को अधिक प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग एवं शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा करने से शिक्षकों की अभिवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है और नीति के उद्देश्यों की प्रभावी पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

शैक्षिक निहितार्थ

किसी भी अनुसंधान की वास्तविक सार्थकता तभी होती है जब वह समाज या राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। यदि अनुसंधान की किसी क्षेत्र में उपयोगिता नहीं है तो ऐसे अनुसंधान पर धन समय व श्रम खर्च करना व्यर्थ ही होगा। प्रस्तुत शोध कार्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रति विद्यालयी शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करने का एक लघु प्रयास है। इस शोधकार्य में परिणाम इस तथ्य की ओर इंगित करते है कि सरकारी विद्यालय और गैर सरकारी विद्यालय के अध्यापकों की अभिवृत्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति अभिवृत्ति सकारात्मक पायी गयी। परन्तु तुलनात्मक रूप से गैर सरकारी शिक्षकों की अभिवृत्ति अधिक प्राप्त हुई। इसका मुख्य कारण है कि समावेशी शिक्षा पर अधिक बल दिया गया। इसमें विशिष्ट शिक्षा और सामान्य शिक्षा को एकीकृत करने की पहल की गयी है। साथ पाठ्यक्रम के अर्न्तगत शिक्षा के गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि करने हेतु उत्तरदायी है। साथ ही बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान प्राप्त करने में अधिक दबाव डाला है। बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी जी का सपना था। इसे उनका आधार स्तम्भ भी कहा जा सकता है। उपचारात्मक शिक्षा शिक्षकों की मदद करने के लिए सभी स्तरों पर उपचारात्मक कार्यक्रम संयोजित किए जायेंगे जिससे की बचे अपनी क्षमता अनुसार सीखें। शिक्षक के लिए विभिन्न अवसरों को उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें शिक्षक अपने अनुभवों, प्रक्टिसेस और विचारों को एक–दूसरे के साथ साझा कर सके और अपने ज्ञापन को सुदृढ़ कर सके। कोर्स चुनाव में एक लचीलापन लाकर विद्यार्थियों को अधिक सशक्त बनाना। पूरे शिक्षाक्रम में वैज्ञानिक सोच को विकसित करना और प्रमाणों पर आधारित चिंतन को विद्यार्थियों में बढ़ावा देना।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, जे. सी. (2010). शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा. नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस।
2. मंगल, एस. के. (2014). शिक्षक शिक्षा. नई दिल्ली: पीएचआई लर्निंग प्रा. लि.
3. शर्मा, आर. ए. (2012). शिक्षक शिक्षा एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी. मेरठ: सूर्या पब्लिकेशन्स।
4. सिंह, ए. के. (2013). शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी. पटना: भारती भवन।
5. बेस्ट, जे. डब्ल्यू. एवं काह्न, जे. वी. (2016). शिक्षा में अनुसंधान. नई दिल्ली: पियर्सन एजुकेशन।
6. गैरेट, एच. ई. (2008). मनोविज्ञान एवं शिक्षा में सांख्यिकी. नई दिल्ली: पैरागॉन इंटरनेशनल।
7. कौल, लोकेश. (2009). शैक्षिक अनुसंधान की पद्धति. नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस।
8. एनसीईआरटी. (2020). शिक्षक शिक्षा सुधार एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा. नई दिल्ली: NCERT।
9. भारत सरकार. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।